बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :–2/अ०प्र०–1–175/2017 1677 /पटना, दिनांक :– 15-11-21

राजीव नगर, पटना स्थित हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर अवैध निर्माण करने के आरोप में श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय के विरूद्ध राजीव नगर, थाना कांड सं0–269/2017 दर्ज किया गया एवं दिनांक–08.10.2017 को गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत मे भेजा गया, जिस कारण श्री कुमार को अधिसूचना सं0–3322 सह–पठित ज्ञापांक–3323 दिनांक–27.11.2017 द्वारा दिनांक–08.10.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

उक्त थाना काण्ड से संबंधित पुलिस अवर निरीक्षक सह–अनुसंधानकर्त्ता राजीव नगर थाना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0–1125 दिनांक–18.05.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया एवं आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना सं0–1127 दिनांक–18.05.2018 द्वारा इनके विरूद्ध मुख्य अभियंता–3 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–9743 अनु0 दिनांक–08.12.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में समकित निष्कर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप का साक्ष्य थाना काण्ड और अनुसंधानकर्त्ता से प्राप्त अभिलेख है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक दृष्किोण अथवा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का आरोप एवं साक्ष्य नहीं है। इनके विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज है जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय का आदेश/अंतिम निर्णय की सूचना अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही में मतंव्य/निष्कर्ष अंकित किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को इस शर्त के साथ समाप्त किया जाता है कि इनके विरूद्ध दर्ज राजीव नगर थाना कांड सं0–269/2017 दिनांक–08.10.2017 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से यह प्रभावित होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8.11.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–175/2017 1678 /पटना, दिनांक :– 15-11-21

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.21
उप सचिव

PTO

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–175/2017 1678 /पटना, दिनांक :– 15.11.21

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय/पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–175/2017 1678 /पटना, दिनांक :– 15.11.21

प्रतिलिपि :–आईटी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभगीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.11.21

उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com.& secy-reo-bih@nic.in